1. प्रस्तावना

विकलांग जन संस्थान सन् 1975 में अस्तित्व में आया। यह संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक तथा वित्तीय नियंत्रण में एक स्वायत निकाय है । वर्ष 2002 में इसका नाम पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान हो गया है।

इस संस्थान के मुख्य उद्देश्यों में मानव संसाधन विकास तथा सभी आयु वर्ग के चलन संबंधी विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करना शामिल है । विकलांग व्यक्तियों की कठिनाइयों के निवारण के उद्देश्य से यह संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली से सम्बद्ध साढ़े चार वर्ष की अवधि के निम्नलिखित कार्यक्रम चलाता है ।

(i) बैचलर आफ फिजिकल थैरेपी (बी.पी.टी)

(ii) बैचलर आफ आक्यूपेशनल थैरेपी (बी.ओ.टी)

(iii) बैचलर आफ प्रौस्थैटिक्स एण्ड आर्थोटिक्स (बी.पी.ओ)

संस्थान के विभिन्न सेवा कार्यकलाप इस प्रकार हैं –

(अ) शारीरिक विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों/रोगियों के रोग निर्धारण तथा उनकी पुनर्वास संबंधी जरूरतों के बारे में निर्णय लेना ।

(ब) आर्थोटिक व प्रौस्थैटिक उपकरणों (कैलिपर्स, स्प्लिंट्स, कृत्रिम अंगों आदि) के निर्माण हेतु कार्यशाला ।

(स) बाह्य रोगियों के लिए भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा तथा वाणी चिकित्सा सम्बंधी सेवाएें ।

(द) सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक परामर्श सेवाऐं।

(ध) समेकित प्राथमिक स्कूल ।

2. पाठ्यक्रम

2.1 भौतिक चिकित्सा एक स्वास्थ्य संबंधी व्यवसाय है जो भौतिक पद्धतियों द्वारा शारीरिक दुष्क्रियाओं में चिकित्सीय प्रबंध से जुड़ा है । इस चिकित्सीय पद्धति का उद्देश्य वैज्ञानिक नियमों की प्रायोज्यता से मानव स्वास्थ्य तथा कार्यशीलता में अधिकतम अभिवृद्धि करना है । भौतिक चिकित्सा के कौशल को सीखने के लिए आधारभूत चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना तथा सैद्धान्तिक विज्ञान की प्रयोज्यता सीखना अनिवार्य है ।

एक भौतिक चिकित्सक अल्प अथवा दीर्घकालीन कार्यशील दुष्क्रियाओं का निर्धारण कर उसे ठीक करने अथवा समाप्त करने में सक्षम होता है । भौतिक चिकित्सक अस्पतालों, पुर्नवास केन्द्रों, विकलांग बच्चों के लिए स्कूलों, वृद्धावस्था केन्दों, सेवा गृहों, खेल–कूद प्रतिष्ठानों में कार्य कर सकता है । भौतिक चिकित्सक स्वनियोजित नैदानिक व्यवसायी, शैक्षणिक अध्यापक और अनुसंधानकर्ता भी हो सकता है।

2.2 व्यावसायिक चिकित्सा भी एक स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यवसाय है जो मानसिक मन्दता सहित विभिन्न स्नायुओं, मांस–पेशियों एवं शारीरिक दुष्क्रियाओं तथा मानसिक विकृतियों के चिकित्सीय प्रबंध से जुड़ा है । इसका उद्देश्य उपरोक्त वर्णित विकृतियों से पीड़ित व्यक्ति के दैनिक जीवन के लुप्त कार्यकलापों की कार्य क्षमता को पुनः प्राप्त करना और सामान्य बनाना कार्य सहनशक्ति का विकास तथा उत्तम समन्वय या कौशलों को बनाए रखना है ।

व्यावसायिक चिकित्सा के कौशल को सीखने के लिए आधारभूत स्वास्थ्य विज्ञान तथा नैदानिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना तथा अनुप्रयोग कjuk अनिवार्य है ।एक व्यावसायिक चिकित्सक कार्यशील दुष्क्रियाओं का निर्धारण कर उसे ठीक करने अथवा समाप्त करने में सक्षम होता है तथा मानसिक रोग अथवा मानसिक मंदता से ग्रस्त बच्चों अथवा व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता कर सकता है । व्यावसायिक चिकित्सक अस्पतालों, पुनर्वास केन्द्रों, विकलांग बच्चों के स्कूलों, नशा मुक्ति–केन्द्रों, मनोचिकित्सा निदानालयों व गृहों तथा मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के केन्द्रों और बाल विकास केन्द्रों में कार्य कर सकता है ।

व्यावसायिक चिकित्सक, स्वनियोजित नैदानिक व्यवसायी, शैक्षिक अध्यापक अथवा अनुसंधानकर्ता, परामर्शदाता, सलाहकार आदि भी हो सकते हैं ।

2.3 प्रोस्थेटिक्स तथा ऑर्थोटिक्स–प्रौस्थैटिक व आर्थोटिक्स ऐसा व्यावसाय है जो विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सहायक अंग व उपकरण निर्माण करने व लगाने से संबंधित है । प्रोस्थेटिक्स आंशिक या पूर्ण रूप से नामौजूद अंग वाले रोगी के लिए प्रोस्थेसिस या कृत्रिम अंग का निर्माण करने, डिजाइन करने और रोगी के शरीर में उसे फिट करने के द्वारा उसके देखभाल की व्यवस्था करता है । प्रोस्थेटिस्ट व्यक्ति की कार्यात्मक और कांतिवर्द्धक जरूरतों को प्रतिस्थापित करने के लिए किसी अंग या इसके भागों के कृत्रिम अनुकल्प को डिजाइन करता है ।वह माप लेता है, उचित सामग्री एवं घटकों का चयन करता है और उसे रोगी में प्रोस्थेसिस को फिट करने के लिए सभी रूपांतरण करने पड़ते हैं ।वह रोगी को उसके उचित रख–रखाव की जानकारी भी देता है ।

ऑर्थोटिक्स किसी तंत्रिका–मांसपेशीय तथा मांसपेशीय–अस्थि संबंधी विकृतियों से ग्रस्त रोगियों के लिए सहायक देखभाल की व्यवस्था करता है । ऑर्थोटिस्ट रोगी में शरीर के कमजोर भाग की कार्यात्मक और कांतिवर्द्धक जरूरतों का मूल्यांकन करने, आवश्यकताओं के अनुसार

आर्थोसिस को डिजाइन करने, आर्थोसिस का निर्माण करने, सीध मिलाने (ॲलाइन) और फिट करने के लिए जिम्मेदार है। वह रोगी को ऑर्थोसिस के उचित प्रयोग और रख–रखरखाव की जानकारी भी देता है ।

3. न्यूनतम पात्रता शर्तें

3.1 **अर्हता:** बीपीटी,बीओटी या बीपीओ के प्रथम वर्ष में प्रवेश के उम्मीदवारों ने निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो:

(क) बीपीटी/बीओटी के लिए सैन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेंडरी एजुकेशन की सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2 पद्धति की 12 वीं कक्षा) या उसके समकक्ष कोई परीक्षा भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों सहित (पीसीबीई)

(ख) बीपीओ के लिए भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित/जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों सहित (पीसीबीई/पीसीएमई) से उत्तीर्ण की गई हो तथा प्रत्येक विषय में छात्र अलग–अलग उत्तीर्ण हो ।

(ग) काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन की इंडियन स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषयों सहित बीपीटी/बीओटी के लिए तथा भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी/भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी विषयों सहित बीपीओ के लिए।

(घ) इण्टरमीडिएट/प्रीमेडिकल परीक्षा या समकक्ष भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव–विज्ञान और अंग्रेजी विषयों सहित बीपीटी/बीओटी के लिए तथा भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी/भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी बीपीओ के लिए ।

(ड़) जिन उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी विषयों के साथ उपर्युक्त मे से कोई एक परीक्षा उत्तीर्ण की हो वे केवल बीपीओ पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं ।

3.2 अंको की प्रतिशतता: सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए उपरोक्त चार विषयों में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग सी डब्ल्यु ए पी पी श्रेणी के लिए 45% अंक होने चाहिए ।

3.3 उम्र: अभ्यर्थी ने 01 अक्टूबर 2006 को अथवा उससे पूर्व 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अधिकतम आयु सीमा सामान्य श्रेणी तथा अन्य के लिए **23** वर्ष है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए **25** वर्ष है ।

3.4 जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 परीक्षा वर्ष 2003 से पूर्व उत्तीर्ण की है तथा उनकी नियमित पढ़ाई में 3 वर्ष से अधिक का अवरोध आ गया है, वे इस प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं है ।

4. प्रवेश का आधार

4.1 बीपीटी/बीओटी/बीपीओ में प्रवेश के लिए प्रत्याशियों का चयन दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में उनकी योग्यताक्रम के आधार पर किया जाएगा । ये परीक्षा तीन घंटे की होगी तथा इसमें सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट (10+2) पाठ्यक्रम के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगें ।

4.2 बीपीटी और बीओटी के लिए केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें "क", "ख", "ग" तथा "घ" चार भाग होंगे और निम्नलिखित विषयों के प्रश्न होंगे :

भाग	*विषय*	*कुल अंक*
क	भौतिक शास्त्र	50
ख	रसायन शास्त्र	50
ग	जीव विज्ञान	50
घ	सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी	50

4.3 बीपीओ पाठ्यक्रम का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को अर्हक परीक्षा (अर्थात् 10+2) में उनके विषयों पर निर्भर करते हुए या तो जीव विज्ञान या गणित के प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प होगा। ऐसे अभ्यर्थी विषय का विकल्प आवेदन फार्म में उचित कालम में देंगे । बी.पी.ओ. पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा हेतु छात्रों को अलग आवेदन पत्र भरना होगा, यह परीक्षा उसी दिन दोपहर बाद होगी ।

4.4 आवेदन पत्र भरते समय पाठ्यक्रम के लिए दिए गए विकल्प को प्रवेश के लिए परामर्श के समय बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4.5 संस्थान द्वारा चलाए जा रहे बीपीटी, बीओटी और बीपीओ के पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले सभी भारतीय अभ्यर्थियों को दो अलग–अलग प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेना होगा ।

5. सीटों की संख्या

5.1 सीटों का आरक्षण: व्यावसायिक चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा के प्रत्येक पाठ्यक्रम में 35 सीटें होंगी और बीपीओ में

20सीटें होंगी । विभिन्न श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए सीटों का वितरण इस प्रकार हैं–

पाठ्यक्रम	कुल सीट	सामान्य श्रेणी	अनु. जाति	अनु. ज.जा.	शारीरिक विकलांग	जहां शिक्षण सुविधाएं नहीं	सी डब्ल्यु एपीपी	वि. मूल
बी पी टी	35	20	5	3	1	3	1	2
बी ओ टी	35	20	5	3	1	3	1	2
बी पी ओ	20	13	3	2	1	.	1	.
योग	90	53	13	8	3	6	3	4

5.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी (अ.जा/अ.ज.जा.)

प्रत्येक पाठ्यकम में कुल सीटों का 15 प्रतिशत व 7½ प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है ।

किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी को इन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन करते समय सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध है ।

5.3 शारीरिक रूप से विकलांग प्रत्याशी : भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा तथा प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स के प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक–एक स्थान शारीरिक रूप से विकलांग प्रत्याशी के लिए आरक्षित है बशर्ते वे योग्यता क्रम सूची में आ जाते हैं तथा पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए डॉक्टरी जांच में उपयुक्त पाए जाते हैं । इस श्रेणी के अंतर्गत दावे हेतु उन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी से स्थायी विकलांगता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए ।

5.4 युद्ध के दौरान मारे गए अथवा विकलांग हो गए अर्द्धसैनिक कार्मिको सहित सशस्त्र सेना कर्मिकों के बच्चों अथवा विधवाओं (सीडब्ल्युएपीपी) के लिए प्रावधान

अर्द्धसैनिक कार्मिकों सहित सशस्त्र सेना के अधिकारियों और व्यक्तियों जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है/विकलांग हुए हैं, की विधवाओं और बच्चों के बारे में 1947–48 से आगे की लड़ाइयों में मारे गए, विकलांग हुए अधिकारियों और व्यक्तियों की विधवाओं/बच्चों के लिए सभी पाठ्यक्रमों में आरक्षित 5% सीटों पर प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा ।

उपरोक्त छूट के लिए पात्र होने हेतु अर्द्धसैनिक कार्मिकों सहित सशस्त्र सेना के अधिकारियों और व्यक्तियों के बच्चों/विधवाओं को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक से प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा :

(क) सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, दिल्ली ।

(ख) सचिव, राज्य/जिला सैनिक बोर्ड ।

(ग) प्रभारी अधिकारी, रिकार्ड कार्यालय ।

(घ) प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट ।

5.5 विदेशी नागरिक (एफएन)

(1) व्यावसायिक चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रत्येक में दो स्थान विदेशी नागरिकों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे बशर्ते कि वे न्यूनतम पात्रता शर्ते पूरी करते हों तथा उन्होंने अंतिम अर्हक परीक्षा (अर्थात 10 + 2 के समकक्ष) किसी विदेशी विश्वविद्यालय/बोर्ड (भूटान के सिवाय) से उत्तीर्ण की हो ।

(2) विदेशी नागरिक जिन्होंने अर्हक परीक्षा किसी भारतीय विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(3) **विदेशी नागरिक श्रेणी से संबंधित प्रत्याशियों को प्रवेश परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं ।** तथापि, उनके आवेदन उनकी सरकार से समुचित संस्तुति के उपरान्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पास विचारार्थ पहुंच जाने चाहिए ।

(4) उनके आवेदन की सिफारिश दिल्ली विश्वविद्यालय के विदेशी छात्र सलाहकार द्वारा भी की जानी चाहिए ।

(5) भारत सरकार तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से उचित औपचारिकताओं के बाद उनका आवेदन संस्थान में पहुंच जाता है तो रिक्ति पर निर्भर करते हुए पाठ्यक्रम में अंतिम प्रवेश दिए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी समकक्ष अर्हता की जांच की जाएगी ।

5.6 उन राज्यों के प्रत्याशी जहाँ इस प्रकार की शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं (एस टी एन ए)

व्यावसायिक चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा प्रत्येक में 3 स्थान ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बधित प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं जहाँ इस प्रकार की शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं । बशर्ते वे प्रवेश परीक्षा के आधार पर योग्यता क्रम में स्थान प्राप्त कर लें । **इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र होने के लिए किसी अभ्यर्थी को राज्य सरकार स्वास्थ्य या कल्याण विभाग के कमिश्नर/सचिव से इस**

आशय का प्रमाण–पत्र लाना होगा कि इस प्रकार की सुविधाएं उनके राज्य में उपलब्ध नहीं हैं । भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी की गई ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची इस प्रकार है :–

(i)	अन्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	(viii)	लक्षद्वीप
(ii)	अरुणाचल प्रदेश	(ix)	मणिपुर
(iii)	असम	(x)	मेघालय
(iv)	दमन और दीव	(xi)	मिजोरम
(v)	हिमाचल प्रदेश	(xii)	नागालैण्ड
(vi)	जम्मू और कश्मीर	(xiii)	सिक्किम
(vii)	झारखण्ड	(xiv)	त्रिपुरा

5.7 सीटों के आरक्षण से अलग रखा जाना

(i) यदि शारीरिक रूप से विकलांग/ एसटीएनए/सीडब्ल्युएपीपी तथा विदेशी नागरिक श्रेणियों के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन स्थानों को आरक्षण से अलग समझा जाएगा तथा ऐसी सीटों के लिए योग्यता क्रम के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विचार किया जाएगा ।

(ii) ऐसा कोई भी छात्र जो आयु, श्रेणी, उत्तीर्ण विषय तथा अंक प्रतिशत आदि के सम्बन्ध में दी गई गलत सूचना के आधार पर प्रवेश ले लेता है तो जब कभी यह स्थिति विश्वविद्यालय/संस्थान के ध्यान में आने पर उसका आवेदन पत्र/दाखिला रद्द कर दिया जाएगा ।

6. विवरणिका की बिक्री तथा प्रवेश के लिए आवेदन पत्र

6.1 विवरणिका एवं आवेदन पत्र पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान के काउन्टर से दिनांक **24 मार्च, 2006 (शुक्रवार)** से उपलब्ध होंगे । वर्ष 2006–2007 में संस्थान द्वारा जारी निर्धारित आवेदन पत्र पर प्रवेश के लिए आवेदन निदेशक, पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, 4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली–110 002 के पास **26 मई, 2006 (शुक्रवार)** तक जमा कर दिए जाने चाहिए । प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ छात्रों को दिए गए सामान्य अनुदेशों के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए । डाक द्वारा विवरणिका एवं प्रवेश फार्म भेजने की अंतिम तिथि **19 मई, 2006 (शुक्रवार) है ।**

संस्थान डाक में गुम होने वाले या विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायित्व वहन नहीं करेगा ।

6.2 **प्रवेश परीक्षा की तारीख**–प्रवेश परीक्षा दिनांक **18 जून, 2006 (रविवार)** को होगी।

(i) बी.पी.टी/ बी.ओ.टी – पूर्वा. 10 बजे से अप्र. 1 बजे तक

(ii) बी.पी.ओ – अप्र. 2 बजे से अप्र. 5 बजे तक ।

प्रत्याशी यदि दोनों पाठ्यक्रमों के लिए पात्रता रखता है तो उसे दोनों प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के लिए अलग–अलग दो आवेदन फार्म भरने होंगे ।

बी.पी.टी./बी.ओ.टी.	–	पी.सी.बी.ई.
बी.पी.ओ.	–	पी.सी.बी.ई./पी.सी.एम.ई.

अतः पी.सी.बी.ई. के प्रत्याशी ही दोनों प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

यदि किसी अभ्यर्थी को **14 जून, 2006** तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता तो वह कृपया तत्काल **निदेशक, पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली को लिखें या सम्पर्क करें । डुप्लिकेट प्रवेश पत्र संस्थान द्वारा 14 से 16 जून 2006 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक जारी किए जायेगें ।**

किसी भी ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसके पास संस्थान द्वारा जारी प्रवेश पत्र नहीं होगा ।

6.3. **परिणाम : परिणाम को अंतिम रूप से संस्थान में 30 जून, 2006 को प्रकाशित किया जाएगा तथा संस्थान की वेबसाइट www.iphnewdelhi.in पर उपलब्ध किया जाएगा । असफल अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की जानकारी नहीं भेजी जाएगी ।** संस्थान प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई अंक तालिका जारी नहीं करेगा तथा इस संबंध में किऐ गए किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा । योग्यता–क्रम सूची के केवल सफल प्रत्याशियों को परामर्श/अनंतिम प्रवेश के लिए निर्धारित तारीख को बुलाया जाएगा ।

6.4 **प्रवेश परीक्षा शुल्क सहित विवरण पत्रिका का मूल्यः** आवेदन पत्र सहित विवरण पत्रिका निदेशक, पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, 4 विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली के कार्यालय काउंटर से सामान्य श्रेणी के लिए 500/–रु. तथा अनु. जा./अ. ज. जा. के लिए (जाति प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत करने पर) 250/– रु. के नकद भुगतान या **निदेशक, पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली** के नाम में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । जो प्रत्याशी पंजीकृत डाक से फार्म व विवरण पत्रिका मंगाना चाहते हैं वे सामान्य श्रेणी के मामले में 550/– रु. तथा अ.जा./अ.ज.जा. के मामले में 300/–रु. जैसा कि ऊपर बताया गया है (अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ) जिसके साथ 12 x 28 सें. मी. का बिना टिकट लगा

स्वयं का पता लिखा लिफाफा संलग्न हो एकाउंट पेयी डिमाण्ड ड्राफ्ट, निदेशक, पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, 4 विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली–110 002 के नाम भेजें । उन्हें आवेदन पत्र व विवरण पत्रिका रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा भेजे जाएगें । तथापि, यह संस्थान फार्म के मार्ग में गुम होने अथवा डाक विलम्ब से मिलने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । अत: दिल्ली से बाहर के प्रत्याशियों को परामर्श दिया जाता है कि वे फार्म मंगाने संबंधी अपना अनुरोध किसी असुविधा से बचने के लिए अन्तिम तारीख से काफी पहले भेजें ।

चूंकि बी.पी.टी./बी.ओ.टी. तथा बी.पी.ओ. के लिए प्रवेश परीक्षा अलग–अलग आयोजित की जायेगी । प्रत्याशी यदि पात्र हैं व इच्छुक हैं तो वह दो अलग–अलग आवेदन पत्र भरें । बिना क्रमांक वाले अथवा फोटो प्रति वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे तथा उन्हें तत्काल रद्द कर दिया जायेगा ।

7 ikB~;Øe 'kqYd

परामर्श एवम् सामयिक प्रवेश के लिए बुलाए गए प्रत्याशियों को पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित तिथि को निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा :–

क्रं सं0	*विवरण*	*राशि रु0*	*टिप्पणी*
1.	प्रवेश शुल्क	1000.00	केवल एक बार (अप्रतिदेय)
2.	जमानत राशि	10000.00	(प्रतिदेय सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर)
3.	पुस्तकालय प्रतिभूति जमा	1000.00	(प्रतिदेय)
4.	ट्यूशन शुल्क	6000.00	प्रति वर्ष
5.	छात्रावास शुल्क	6000.00	प्रति वर्ष (छात्रावास में स्थान मिलने की स्थिति में देय होगा)
6.	थेराप्यूटिक प्रयोगशाला शुल्क	2000.00	प्रति वर्ष
7.	खेलकूद एवं सांस्कृतिक शुल्क	300.00	प्रति वर्ष
8.	नामाकन शुल्क		दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार
9.	परीक्षा शुल्क		दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार
	योग	**26,300.00**	**लगभग**

नोट :

(i) कक्षाओं के आरंभ हो जाने पर क्र.सं. 1 से 7 में वर्णित कोई शुल्क लौटाया नहीं जाएगा ।

(ii) अंतिम प्रवेश हो जाने पर क्र.सं. 1 में वर्णित प्रवेश शुल्क लौटाया नहीं जाएगा ।

(iii) क्र. सं. 2 में वर्णित जमानत राशि पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा होने के उपरान्त ही लौटायी जाएगी । यदि कोई प्रत्याशी प्रवेश लेने के उपरान्त पाठ्यक्रम छोड़ देता है, तो यह राशि नहीं लौटाई जाएगी ।

(iv) यदि प्रवेश प्राप्त प्रत्याशी कक्षाओं में आना उपस्थित होना आरंभ कर देता है तो क्र.सं. 3, 4, 6 व 7 में वर्णित राशि नहीं लौटाई जाएगी तथापि यदि प्रत्याशी प्रवेश के लिए होने वाले द्वितीय परामर्श की तारीख से पूर्व प्रवेश से हट जाता है तो इसे वापिस किया जाएगा अन्यथा केवल पुस्तकालय प्रतिभूति ही विभाग से ''कुछ बकाया नहीं '' प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर लौटाई जाएगी ।

(v) यदि प्रत्याशी को होस्टल में स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो छात्रावास शुल्क लौटा दिया जाएगा ।

8. होस्टल

1. रिक्तता पर निर्भर करते हुए दिल्ली से बाहर के उम्मीदवारों के लिए संस्थान के होस्टल में सीमित स्थान उपलब्ध है । दिल्ली में निवास रखने वाले छात्रों को होस्टल में स्थान नहीं दिया जाएगा । होस्टल वासी होस्टल नियमावली नियमों और विनियमों में निर्धारित के अधीन रहेंगे ।

2. होस्टल में स्थान आबंटित होने पर किराया, बिजली, पानी तथा अनुरक्षण प्रभार के रूप में 6000/– रु. प्रति वर्ष की दर से होस्टल शुल्क लिया जाएगा ।

3. यदि संस्थान के होस्टल में सीटें उपलब्ध नहीं होती तो प्रत्याशी को दिल्ली में ठहरने की स्वयं व्यवस्था करनी होगी । होस्टल में आवास वर्ष दर वर्ष के आधार पर आबंटित किया जाएगा ।

4. असफल/छात्रों/भूतपूर्व छात्रों को होस्टल में ठहरने की अनुमति नहीं होगी । तथापि, वार्षिक/पूरक परीक्षा में उनके उत्तीर्ण होने पर उन्हें स्थान पुन: आवंटित किए जाने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि रिक्त स्थान उपलब्ध हो ।

9. सामान्य अनुदेश

(1) संलग्न आवेदन पत्र निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरान्त ही प्रत्याशी स्वयं के हस्तलेख में भरें । **स्वयं प्रत्याशी द्वारा न भरे जाने पर आवेदन को निरस्त किया जा सकता है ।**

(2) प्रत्याशी आवेदन पत्र, पहचान पत्र तथा प्रवेश पत्र पर अपने हस्तलेख में स्पष्ट हस्ताक्षर करें । बड़े अक्षरों (केपिटल लेटर्स) में हस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रत्याशी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी ।

(3) इस आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना देना या किसी वास्तविक सूचना को छिपाना अयोग्यता समझी जाएगी तथा इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले प्रत्याशी को अयोग्य माना जाएगा ।

(4) इस आवेदन पत्र में यदि कोई असत्य सूचना दी जाती है अथवा किसी वास्तविक सूचना को छुपाया जाता है तथा जिसके विषय में संस्थान को प्रत्याशी के प्रशिक्षण के दौरान यदि जानकारी हो जाती है तो उसका नाम नामावली से काट दिया जाएगा ।

(5) सभी उत्तर शब्दों में दिए जाएं न कि डैशों और बिन्दुओं में कोई कालम खाली या अपूर्ण न छोड़ा जाए ।

(6) अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा । इस आवेदन पत्र को भरने से पूर्व विवरणिका में निहित अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए ।

(7) प्रवेश से संबंधित किसी भी न्यायिक विवाद का निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा ।

10. आवेदन पत्र के साथ दिए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

भरे हुए आवेदन पत्र भेजने से पूर्व प्रत्याशी जांच कर लें कि उन्होंने निम्नलिखित मदें नत्थी कर दी हैं कि नहीं :

(प्रमाण पत्रों की केवल सत्यापित प्रतियाँ ही भेजी जाएं मूल प्रमाण–पत्र संलग्न न किए जाएं)

1. जन्मतिथि प्रमाण–पत्र बोर्ड /विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक/ सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल प्रमाण–पत्र ।
2. निर्धारित सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र उन प्रत्याशियों के लिए जो आरक्षित श्रेणियों के अधीन प्रवेश ले रहें हैं ।
3. उस कालेज/स्कूल से अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र जहां अंतिम रूप से शिक्षा प्राप्त की है।
4. 10+2 योजना के अधीन 12 वीं परीक्षा पास करने/परीक्षा में बैठने का लिखित प्रमाण ।
5. 10+2 योजना के अधीन 12 वीं कक्षा की अंक तालिका ।
6. आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र तथा पहचान पत्र पर चिपकाये गए हाल ही के पासपोर्ट आकार के 3 रंगीन फोटो।
7. स्वयं का पता लिखा पावती कार्ड ।
8. प्रत्याशी द्वारा विधिवत अपने हस्तलेख में हंस्ताक्षरित प्रवेश–पत्र और पहचान–पत्र ।
9. प्रवेश–प्रत्र प्राप्त करने के लिए स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा (12 x 28 से.मी.)
10. आवेदक तथा उम्मीदवार के पिता/माता/पति/अभिभावक द्वारा आवेदन पत्र में निर्धारित घोषणा पर हस्ताक्षर ।
11. सही तरीके से भरा हुआ आवेदन–पत्र एवं समस्त प्रमाण–पत्र सहित **निदेशक, पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान, 4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली–110 002** को भेजा जाए ।
12. लिफाफा जिसमें आवेदन पत्र है पर ''बी.पी.टी./बी.ओ.टी. प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र'' अथवा ''बी.पी.ओ. प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र'' जो भी लागू हो लिखा जाए ।

नोट :

यदि कोई प्रत्याशी 10+2 योजना के अधीन 12 वीं कक्षा या किसी समकक्ष परीक्षा में बैठ रहा है अथवा बैठ चुका है तो उसे इस आशय का प्रमाण–पत्र स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्य/प्रमुख की ओर से प्रस्तुत करना होगा । परन्तु उसे अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का लिखित प्रमाण, जिसमें वांछित विषयों का वर्णन हो तथा उसकी अंक तालिका की सत्यापित फोटो प्रतिलिपि जिसमें प्राप्त अंकों का वर्णन हो 30 मई, 2006 (मंगलवार) तक जमा करना होगा अन्यथा प्रवेश परीक्षा में उसके निष्पादन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26 मई, 2006 (शुक्रवार) है । उसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

11. प्रवेश परीक्षा की तिथि पर उम्मीदवार के लिए जानकारी

(क) बी.ओ.टी./बी.पी.टी. के लिए प्रवेश परीक्षा

समय अनुसूची का सख्ती से पालन किया जाना है :

केन्द्र में रिपोर्ट करने का समय	प्रात: 9.30 बजे
सीट पर उम्मीदवार का बैठना	प्रात: 9.45 बजे
प्रश्न पुस्तिका का जारी करना	प्रात: 9.50 बजे
पुस्तिका की सील खोलना	प्रात: 9.55 बजे
प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करना	प्रात: 10.00 बजे
परीक्षा समापन	दोपहर बाद 1.00 बजे

(ख) बी.पी.ओ. के लिए प्रवेश परीक्षा

समय अनुसूची का सख्ती से पालन किया जाना है :

केन्द्र में रिपोर्ट करने का समय	1.30 बजे अपरान्ह
सीट पर उम्मीदवार का बैठना	1.45 ''
प्रश्न पुस्तिका का जारी करना	1.50 ''
पुस्तिका की सील खोलना	1.55 ''
प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करना	2.00 ''
परीक्षा समापन	5.00 बजे अपरान्ह

2. किसी भी उम्मीदवार को किसी भी परिस्थिति में बीओटी/बीपीटी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए प्रातः 10.00 बजे के बाद तथा बीपीओ प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए 2.00 बजे अप्र. के बाद परीक्षा हाल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ।

3. प्रत्याशी अपने साथ प्रवेश पत्र अवश्य लाएं । प्रवेश पत्र के बिना किसी उम्मीदवार को परीक्षा में लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. प्रत्याशी अपने साथ एच बी पेंसिल, बॉल पैन, इरेजर और शार्पनर आदि परीक्षा में प्रयोग के लिए लाएं ।

5. उपरोक्त 4 में वर्णित कोई भी स्टेशनरी वस्तु प्रवेश परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी ।

6. उम्मीदवार को परीक्षा पुस्तिका में पेन/बाल प्वाइंट पेन से अपने विवरण के बारे में प्रविष्टि करनी है । उत्तर पत्र के साइड 1 पर बांछित ब्यौरा पेन/बॉल पेन से भरा जाना है जबकि साइड 2 पर (हस्ताक्षर को छोड़कर) सभी कोडीकृत जानकारी और उत्तर केवल उचित बबल्स/सर्किलों द्वारा एच बी पेंसिल से भरे जाने चाहिए ।

7. अभ्यर्थी को परीक्षा पुस्तिका और उत्तर–पत्र के अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लेना चाहिए ओर उसका अनुसरण करना चाहिए । कुछ भी पूछना हो तो उसे निरीक्षकों से स्पष्ट करा लेना चाहिए ।

8. परीक्षा प्रश्न पत्र में 200 **वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न** होंगे जिनमें से भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान/गणित और अंग्रेजी व सामान्य ज्ञान प्रत्येक के 50 प्रश्न होंगे । कुल परीक्षा अंक 800 होंगे ।

9. बीपीटी/बीओटी का विकल्प देने वाले प्रत्याशियों को केवल भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी व सामान्य ज्ञान प्रश्नों को करना पड़ेगा ।

10. बीपीओ का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों के लिए 10 + 2 में उनके कोर विषयों तथा अपने आवेदनों में उनके द्वारा विकल्प दिए गए विषयों पर निर्भर करते हुए या तो जीव विज्ञान या गणित के प्रश्नों को करना पड़ेगा ।

11. प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है । प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल प्राप्तांकों से एक अंक काट लिया जाएगा ।

12. उम्मीदवारों को परीक्षा का आधा समय बीत जाने से पहले परीक्षा हाल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी तथा परीक्षा पूर्ण होने से पहले परीक्षा केन्द्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी ।

13. उम्मीदवार को परीक्षा हॉल के अंदर कलकुलेटर,पेजर,मोबाइल फोन आदि सहित सामान और वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

14. उम्मीदवार की निजी वस्तुओं के खो जाने/चोरी हो जाने के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा ।

15. उम्मीदवार को परीक्षा से एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र को और उसी दिन प्रातः बैठने संबंधी व्यवस्था देख लेने की सलाह दी जाती है ।

16. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षा अधीक्षक को किसी उम्मीदवार/शिकायत/विवाद की जांच करने तथा तद्नुसार निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

17. **किसी प्रकार अनुचित साधन/अनाचार में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में आगे लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उम्मीदवार का सम्पूर्ण परीक्षा निष्पादन रद्द कर दिया जाएगा ।**

18. छद्मरूपण के किसी भी प्रयास से विधि के अधीन सख्ती से निपटा जाएगा ।

19. पेय जल को छोड़कर परीक्षा केन्द्र के हॉल के अन्दर कोल्ड ड्रिंक/चाय/काफी/आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

12. विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना

12.1 जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे उन्हें परामर्श तथा सामयिक प्रवेश के लिए निर्धारित तारीखों को बुलाया जाएगा । दाखिले दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पुष्टि के अधीन हैं ।

12.2 उपस्थिति

बीपीटी/बीओटी/बीपीओ में प्रवेश प्रत्याशी की उपस्थिति की अपेक्षित शर्तों को तब तक पूर्ण नहीं समझा जाएगा, जब तक कि वह प्रत्येक शैक्षिक वर्ष और निर्धारित इन्टर्नशिप अवधि में प्रत्येक विषय में सैद्धातिंक और व्यावहारिक विषयों में अलग–अलग तीन–चौथाई (75%) से कम उपस्थिति नहीं रखता हो इसके अतिरिक्त, जहां निर्धारित पाठ्यक्रमों में भ्रमण अध्ययन सम्मलित है, उपस्थिति अनिवार्य होगी । उपस्थिति की कमी पूरी करने हेतु संस्थान अतिरिक्त कक्षाओं की

व्यवस्था कराने का दायित्व नहीं लेता । **यदि किसी छात्र को कम उपस्थिति का या बिना सूचना दिए कक्षा में अनुपस्थित होना पाया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त करने सहित उसे अनुशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा अथवा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।**

13. छेड़ – छाड़ पर रोक तथा दंड *(अध्यादेश 15 – ग)*

1. संस्थान के परिसर के अंतर्गत जिसमें कक्षाओं के कमरे, पुस्तकालय, गलियारे, विभाग एवं छात्रावास तथा दिल्ली विश्वविद्यालय तंत्र का कोई भाग और परिवहन समेत सार्वजनिक स्थान शामिल हैं, में छेड़छाड़ पर पूर्ण प्रतिबंध है ।

2. किसी व्यक्ति द्वारा अकेले अथवा सामूहिक छेड़–छाड़ करना अथवा छेड़–छाड़ का प्रयास करना गम्भीर अनुशासनहीनता माना जाएगा तथा उससे इस अध्यादेश के अन्तर्गत निपटा जाएगा ।

3. इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए छेड़–छाड़ का साधरणतया अर्थ है वरिष्ठ छात्रों का अपने दर्जे अथवा बल द्वारा नए आए छात्रों अथवा जो छात्र किसी भी तरह से अन्य छात्रों से कनिष्ठ अथवा नीचे समझे जाते हैं उनके साथ किसी प्रकार से अकेले अथवा समूह में छेड़–छाड़ करना अथवा छेड़–छाड़ का प्रयास करना, इसमें ये शामिल हैं :–

   (क) शारीरिक प्रहार अथवा धमकी अथवा शारीरिक बल का प्रयोग करना ।

   (ख) छात्रों/छात्राओं के दर्जे, गरिमा व मान का उल्लंघन ।

   (ग) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति से संबंधित छात्रों के दर्जे गरिमा तथा सम्मान का उल्लंघन करना ।

   (घ) छात्रों को हास्यास्पद स्थिति में डालना तथा उनके आत्म सम्मान को प्रभावित करना ।

   (ड़) गाली गलौज़ करना, गन्दी भावः भंगिमाएं बनाना तथा इशारेबाजी करना ।

4. कालेज में प्रधानाचार्य, किसी विभाग के अध्यक्ष अथवा संस्था, कालेज प्राधिकारी विश्वविद्यालय, होस्टल, आवासीय हाल के प्राधिकारी किसी भी प्रकार की छेड़–छाड़ की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करेंगें ।

5. उपरोक्त खण्ड–4 में किसी बात के होते हुए भी कुलानुशासक छेड़–छाड़ की किसी घटना में साथ–2 जांच कर सकेंगें तथा कुलपति को उन व्यक्तियों की सूचना देंगे जो छेड़–छाड़ की घटना में शामिल थे ।

6. कुलानुशासक छेड़–छाड़ करने वाले तथा छेड़–छाड़ के जनक तथा छेड़–छाड़ की घटना के प्रकार की एक आरम्भिक रिपोर्ट भी दे सकते हैं ।

7. यदि कालेज के प्रधानाचार्य अथवा विभागाध्यक्ष अथवा संस्था अध्यक्ष अथवा कुलानुशासक संतुष्ट है कि कुछ कारणों से इसे लिखित में रिकार्ड में लाया जाए, वह व्यवहारिक नहीं कि ऐसी कोई जांच की जाए वह तदानुसार कुलपति को ऐसा परामर्श दे सकते हैं ।

8. जब कुलपति इससे संतुष्ट हो कि ऐसी कोई जांच करना जरूरी नहीं है उनका निर्णय अन्तिम होगा ।

9. खण्ड 5 अथवा 6 के अन्तर्गत रिपोर्ट मिलने पर अथवा खण्ड 7 के अन्तर्गत सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा खण्ड 3 क, ख, अथवा 9 ग में वर्णित छेड़–छाड़ की घटना होने को प्रकट करने संबंधी निर्णय पर कुलपति निश्चित वर्षों के लिए छात्र अथवा छात्रों को प्रतिबंधित करने के निर्देश अथवा आदेश दे सकते हैं ।

10. कुलपति छेड़–छाड़ अन्य मामलों में किसी छात्र को निकालने अथवा न निकालने , किसी अवधि के लिए किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश देने, किसी सम्बद्ध परीक्षा अथवा परीक्षाऐं जिनमें वह बैठ चुका है के परिणाम को रद्द करने का निर्देश दे सकते हैं ।

11. ऐसे मामले जिनमें छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर चुके है तथा इस अध्यादेश के अन्तर्गत दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध इसके नियम 15 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री अथवा डिप्लोमा को वापिस लेने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी ।

12. इस अध्यादेश के प्रायोजन के लिए, छेड़–छाड़ के लिए उकसाना भी छेड़–छाड़ माना जाएगा ।

13. दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले सभी संस्थान, इस अध्यादेश के अन्तर्गत जारी निदेशों/अनुदेशों का अनिवार्यतः पालन करेंगे तथा इस अध्यादेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुलपति को सभी सहायता व सहयोग देगें ।

14. आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश

14.1 उम्मीदवार द्वारा स्वयं अपने हस्तलेख से आवेदन–पत्र भरा जाना चाहिए ।

यदि आपने हमारी वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड किया हो तो संलग्न किए गए बैंक ड्राफ्ट का ब्योरा भरें । बिना अपेक्षित राशि के बैंक ड्राफ्ट वाले डाउनलोड किए गए आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा ।

14.2 पाठ्यक्रम के विकल्प की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें । अपने स्रोतों से या हमारी वेबसाइट से पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करलें और प्राथमिकता के क्रम

में संबंधित कालमों में भरे । अभ्यर्थियों को परामर्श देते समय केवल उनके प्राथमिकता क्रम में पाठ्यक्रम दिए जाएंगे । परामर्श/प्रवेश के समय प्राथमिकता में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

14.3 अपना हाल ही के पासपोर्ट आकार का अपने स्कूल/कालेज के प्रिंसिपल या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ लगाएं । फोटोग्राफ को आवेदन पत्र में, न कि आवेदन पत्र के ऊपर लगाने से पूर्व इसे अनुप्रमाणित करा लें ।

14.4 अपने प्रवाहित हस्तलेख में फोटोग्राफ के लिए स्थान के नीचे दिए गए स्थान में अपने हस्ताक्षर करें । बड़े अक्षरों (केपिटल लेटर्स) में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे ।

14.5 बड़े अक्षरों (कैपिटल लेटर्स) में अपना नाम उसके लिए दिए गए बॉक्सों में लिखें । अपने नाम के लिए आवश्यक बॉक्सों को गिन लें, नाम और उपनाम के मध्य एक बॉक्स छोड़ दें । यदि बॉक्सों की संख्या कम हो तो आप बाक्स उसमें और जोड़ लें ।

14.6 नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार अपनी जन्म–तिथि दिन, माह और वर्ष के संदर्भ में लिखे:

जन्म तिथि

दिन	माह	वर्ष
1 7	0 6	1 9 8 6

14.7 अपनी उम्र 01 अक्तूबर, 2006 बताएं उदाहरणार्थ किसी उम्मीदवार की यदि उपर्युक्त जन्म–तिथि हो तो वह निम्नलिखित आयु का होगा:

दिन	माह	वर्ष
1 6	0 3	2 0

14.8 नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार अपना जन्म–स्थान नगर/जिला और राज्य के संदर्भ में लिखे:

नगर/जिला	राज्य
रोहतक	हरियाणा

14.9 अपने अधिवास का स्थान अर्थात उम्मीदवार के पिता का मूल राज्य/जिला बताएं ।

14.10 उचित बॉक्स में अपने लिंग के बारे में ☑ का निशान लगाएं ।

14.11 उचित बॉक्स में अपनी वैवाहिक स्थिति पर ☑ का निशान लगाएं ।

14.12 (क) अपनी राष्ट्रीयता को लिखें । यदि आप पासपोर्ट धारी हैं तो इसका उल्लेख, जैसा कि आपके पासपोर्ट में दिया गया है, किया जाना चाहिए ।

(ख) अपनी मातृभाषा का उल्लेख करें ।

14.13 से 14.17 आवेदन पत्र में कालम 14.13 से 14.17 और विवरण–पत्रिका में सीटों की संख्या के बारे में कालम 4 को सावधानीपूर्वक पढ़ें और संबंधित बाक्स (बॉक्सों में ☑ का निशान लगाएं । संबंधित श्रेणी के अंतर्गत लाभ का दावा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न करें ।

14.18 से 14.19 पत्राचार के लिए अपना पता और स्थायी पता बड़े अक्षरों में उसके लिए दिए गए बाक्सों में लिखें । प्रत्येक शब्द के बाद एक बाक्स खाली छोड़ दें । पिन कोड का भी उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि डाक में कोई विलम्ब न हो । तत्कालिकता के मामलों में आपसे पत्राचार/सम्पर्क करने के लिए टेलीफोन/फैक्स नम्बर (यदि कोई हो) तो दिया जाना चाहिए ।

14.20 से 14.24 अपने पिता/पति/अभिभावक का नाम और माता का नाम अपने हस्तलेख से साफ–साफ लिखें । अपने अभिभावक के व्यवसाय, मासिक आय तथा सम्बंध का उल्लेख करें ।

14.25 उचित कालमों में मैट्रिकुलेशन/10 वीं कक्षा से आगे की अपनी शैक्षिक अर्हता भरें । यदि दिया गया स्थान पर्याप्त न हो तो एक अलग कागज संलग्न करें ।

14.26 उचित कालमों में ☑ का निशान लगाएं और यदि आपने इस वर्ष परीक्षा दी हो तो अपने अर्हक 10 + 2 परीक्षा में परिणाम की घोषणा की संभावित तारीख दें ।

14.27 यदि आपने अपनी 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तो कोर विषयों अर्थात भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी में यदि आपने तीनों पाठ्यक्रमों (बीपीटी,बीओटी तथा बीपीओ) के लिए विकल्प दिया हो और भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी में यदि आपने केवल बीपीओ के लिए विकल्प दिया हो तो प्राप्तांकों को भरें । कृपया कोर विषयों का उल्लेख करें जिनमें आप प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं । गणित के कोर विषय में प्रश्नों का उत्तर देने वाला उम्मीदवार बीपीटी और बीओटी में दाखिले के लिए पात्र नहीं होगा इसलिए कोर विषयों को भरने से पूर्व अनुदेशों और विवरण–पत्रिका (प्रोस्पेक्टस) को सावधानीपूर्वक पढ़ लें । प्रमुख विषयों के कुल मिलाकर प्रतिशत की गणना आपकी पात्रता का तथा प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए आपको विषयों की अनुमति का निर्णय करने में की जाएगी ।

14.28 से 14.29 उम्मीदवार द्वारा स्वयं तथा अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली घोषणा को पढ़ लें । यदि संस्थान के ध्यान में मानदंडों/नियमों के उल्लंघन की कोई घटना लाई जाती है तो वे इन घोषणाओं के स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

❑ ''केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए'' शीर्षक पृष्ठ पर कुछ भी नहीं लिखें ।

15. प्रमाण–पत्रों का प्रपत्र

15.1 (क) अ.ज./अ.ज.जा. के लिए : जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त उपायुक्त उप कलेक्टर/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजिनल मजिस्ट्रेट/ताल्लुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त प्रसेंडेंसी मजिस्ट्रेट/अति चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम स्तर का न हो जहाँ प्रत्याशी और अथवा उसका परिवार सामान्यतया रहता है इस क्षेत्र का सव डिवीजनल अधिकारी/प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप) द्वारा जारी किया जाए ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु..

पुत्र/पुत्री, श्री/श्रीमती..

ग्राम/नगर..

जिला मण्डल..

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र...की...................................

जाति से सम्बद्ध है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

हस्ताक्षर...

नाम...

(साफ अक्षरों में)

पदनाम...

स्थान व तारीख

(कार्यालय की मोहर)

15.2 विकल्प

(केवल उन व्यक्तियों के लिए जो रोजगार, शिक्षा आदि के प्रयोजन से एक राज्य से दूसरे राज्य में जा बसे हैं ।)

श्री/श्रीमती...पिता/माता/श्री/श्रीमती...

. ग्राम/नगर..जिला मण्डल..राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र...को...

(जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम)

द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र सं. ....के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि वह...........................जाति से है जिसे.............................राज्य/संध राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

हस्ताक्षर...

पूरा नाम...

(साफ अक्षरों में)

पदनाम...

स्थान व तारीख

(कार्यालय की मोहर)

कृपया जो लागू न हो उसे काट दें । केवल स्कूल के मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य या राजपत्रिक अधिकारी की सत्यापित प्रतिलिपियां/फोटो प्रतियां ही संलग्न करें ।

1. INTRODUCTION

The Institute for the Physically Handicapped, New Delhi came into existence in the year 1975. It is registered under the Societies Registration Act of 1860 as an autonomous organisation under the administrative and financial control of Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India. It has been renamed as Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped in the year 2002.

The main objectives of the Institute include, manpower development and to serve the locomotor impaired persons of all age groups. In its pursuit of alleviating the sufferings of disabled people, the Institute runs following programmes of 4½ yrs duration each affliated to University of Delhi, Delhi

(i) Bachelor in Physiotherapy (B.P.T)

(ii) Bachelor in Occupational Therapy (B.O.T)

(iii) Bachelor in Prosthetics & Orthotics (B.P.O)

The various service functions of the Institute are:

(a) Assessment of the persons/patients with physical impairments to actualize about their rehabilitation needs.

(b) Workshop for fabrication of Orthotic and Prosthetic Devices eg. Callipers, splints, artificial limbs etc.and ambulatory aids & furniture for CP cases.

(c) Out patient services of Physiotherapy, Occupational Therapy and Speech Therapy

(d) Social Psychological and Vocational Counselling services.

(e) Integrated primary school

2. STUDY COURSES

2.1 **Physiotherapy** is a health related profession that deals with therapeutic management of body dysfunction, by physical modalities. The aim of this therapeutic system is to promote optimal human health and function through the application of Scientific principles. To learn the skills of Physiotherapy it is essential to acquire knowledge and application of the basic health sciences and clinical sciences.

A Physiotherapist is able to assess, correct or alleviate acute or prolonged movement dysfunction. Physiotherapist may work in hospitals, rehabilitation centres, schools for disabled children, geriatric centres, nursing homes and sports settings. Physiotherapist can also be self employed clinical practitioners, academic teachers and researchers.

2.2 **Occupational Therapy** is also a health related profession that deals with therapeutic management of various neuro-muscular and musculo skeletal dysfunctions and mental disorders including mental retardation. The aim is to regain the lost functions in activities of daily living, development of different working skills including maintance of fine coordination of an individual who suffers from any disorders listed above.

To learn skills of Occupational Therapy it is essential to acquire knowledge and application of the basic health sciences and clinical sciences. An Occupational Therapist is able to assess, correct or alleviate movement dysfunctions in terms of human activities. They can help in rehabilitation of children or persons with locomotor impairment, mental retardation or mental illnesses. Occupational Therapist may work in hospitals, rehabilitation centres, schools for the children with disabilities, drug de-addiction centres, psychiatry clinics, centres for the Mentally Retarded and child development centres.

Occupational Therapists can also be self employed clinical practitioners, academic teachers, managers, researchers, consultants, advisors, etc.

2.3 **Prosthetics and Orthotics** is a profession that deals with fabrication and fitment of rehabilitation aids and appliances for the disabled persons. Prosthetics provides care to patients with partial or total absence of limb by designing, fabricating and fitting the patient with prosthesis or artificial limb to replace the individual's functional and cosmetic needs. The prosthetist takes measurements, selects the appropriate materials and components and has to make all necessary modifications to fit the prosthesis to the patient. He also teaches the patient how to take care of it for optimal use.

Orthotics provides supportive care to the patients with neuromuscular and musculoskeletal

disorders with an orthosis. The orthotist is responsible for evaluating the functional and cosmetic needs of the weaker part of the body, designing the appliance as per needs, fabricating, aligning and fitting the orthosis. He also educates the patients about the appropriate use and care of orthosis.

3. MINIMUM ELIGIBILITY CONDITIONS

3.1 **Qualification-**Candidates seeking admission to the Ist Year BPT, BOT and BPO must have passed one of the following examinations.

(a) Senior School Certificate Examination of the Central Board of Secondary Education (12 th standard of 10+2 system) or an examination recognised as equivalent there to with Physics, Chemistry, Biology and English (PCBE) for BPT/BOT,

(b) Physics, Chemistry, Mathematics/Biology and English (PCBE/PCME) for BPO., provided the student has passed in each subject separately.

(c) Indian School Certificate Examination of the Council for the Indian School Certificate Examination or equivalent with PCBE for BPT/BOT and PCBE/PCME for BPO.

(d) Intermediate/Pre-medical Examination or equivalent with PCBE for BPT/BOT and PCBE/PCME for BPO.

(e) The candidate who have passed one of the above examinations with PCME are eligible for BPO course only.

3.2 **Percentage of Marks-**The candidate should have a minimum of 50% marks in aggregate in above mentioned four subjects for general category and 45% for SC/ST/PH/CWAPP categories each.

3.3 **Age -** The Candidate should have completed 17 years of age on or before the 1st day of October 2006. The maximum age limit for General category & others is **23 yrs.** and in case of SC/ST/PH is **25 yrs.**

3.4 The candidates who have passed their **10+2** Examination before the year 2003 and have **discontinued their regular studies for more than 3 years are not eligible to appear in the entrance test.**

4. BASIS OF ADMISSION

4.1 The selection of candidates for admission to BPT/BOT/BPO will be made on the basis of merit. There will be one Entrance Tests for B.O.T and B.P.T. and another Entrance Test to B.P.O. course will be held separately by University of Delhi. conducted by University of Delhi. The tests will be of three hours duration each and shall consist of objective type of questions based on Senior Secondary School Certificate (10+2) curriculum.

4.2 For the courses of BPT & BOT the question papers will be consisting of four parts A, B, C, and D as mentioned below :

Part	*Subject*	*Total Marks*
A.	Physics	50
B.	Chemistry	50
C.	Biology	50
D.	Gen. Knowledge and English	50

4.3 The candidates opting for BPO course will have the option to attempt questions either in Biology or Mathematics depending upon their subjects in qualifying examination (i.e. 10 + 2). Such candidates will apply on the separate Application form to appear in the test to be held seperately in afternoon of the same day.

4.4 No change in the choice of course opted at the time of filling up the application form will be allowed at the time of counselling for admission.

4.5 **All Indian candidates who apply for admission to the courses of BPT, BOT and BPO run by the Institute will have to appear in the two separate Entrance Tests as above.**

5. NUMBER OF SEATS

5.1 **Reservation of seats-**The total number of seats will be 35 each in Occupational Therapy and Physiotherapy and 20 seats in Bachelor of P & O. The

distribution of seats to different category of candidates is as follows :

Course	Total Seats	Gen.	SC	ST	PH	STNA	CWAPP	FN
BPT	35	20	5	3	1	3	1	2
BOT	35	20	5	3	1	3	1	2
BPO	20	13	3	2	1	–	1	–
Total	90	53	13	8	3	6	3	4

5.2 **Scheduled Caste/Scheduled Tribe Candidates (SC/ST)**

15% and 7½% of the total numbers of seats in each course are reserved for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates respectively.

A Scheduled Caste/Tribe candidate while applying for appearing in the entrance test for admission in any of the course will be required to submit a certificate to the effect that he/she belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category from the competent authority.

5.3 **Physically Handicapped :** One seat each in Physiotherapy, Occupational therapy and Prosthetics and Orthotics courses has been reserved for the physically disabled persons provided they are in the merit list and are found medically fit to pursue the course. They should also submit a certificate of permanent physical impairment from competent medical authority to stake their claim under this category.

5.4 Provision for Children/Widows of Armed Personnel including Paramilitary Personnel killed or Disabled during Hostilities (CWAPP)

Widows/Children of Officers and Men of the Armed Forces including Para Military Personnel who have been killed/disabled while on duty will be considered for admission against the 5% seats in all the courses reserved for the Widows/Children of the Officers and Men of the Armed Forces including Para Military personnel killed disabled in action in wars 1947-48 onwards.

In order to become eligible for the above concession the Widow/Children of the officer and Men of the Armed Forces including Para Military personnel will be required to produce an entitlement certificate from any of the following authorities.

(a) Secretary, Kendriya Sainik Board, Delhi

(b) Secretary, Rajya/Zila Sainik Board

(c) Officer-in Charge, Record Office

(d) 1st class Stipendiary Magistrate

5.5 Foreign National (FN)

(i) 2 seats each in Occupational Therapy and Physiotherapy will be reserved for Foreign Nationals provided they fulfil the minimum eligibility conditions and have passed the last qualifying examination (i.e. equivalent to 10 + 2) from a Foreign University/Board (except from Bhutan).

(ii) The Foreign Nationals who have passed their qualifying examination from any Indian University will not be eligible for admission under this category.

(iii) **The candidate belonging to Foreign National category need not appear in the Entrance Test.** However their application after due recommendation from their Govt. should reach Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India for consideration.

(iv) Their application should also be recommended by the foreign student advisor of University of Delhi.

(v) Once their application after due formalities from Govt. of India & University of Delhi reaches the Institute the equivalency of their qualification will be examined by the competent authority before being given provisional admission to the course depending upon the vacancy.

5.6 **Candidates from the States where similar Teaching Facilities are not available (STNA)**

3 seats each in Occupational Therapy and Physiotherapy courses are reserved for the candidates coming from the States/UTs where similar teaching facilities are not available, provided they come in the merit, based on the entrance test. **To become eligible for consideration under this category, a candidate will have to produce a certificate from commissioner/secretary of the State Govt. in the health or welfare department to this effect that such teaching facilities are not available in their State.** The list of such States/ UTs as provided by Ministry of Social Justice & Empowerment is as follows :

(i)	Andman & Nicobar Islands	(viii)	Lakshdweep
(ii)	Arunachal Pradesh	(ix)	Manipur
(iii)	Assam	(x)	Meghalaya
(iv)	Daman & Diu	(xi)	Mijoram
(v)	Himachal Pradesh	(xii)	Nagaland
(vi)	Jammu & Kashmir	(xiii)	Sikkim
(vii)	Jharkhand	(xiv)	Tripura

5.7 **Dereservation of Seats**

(i) In case the eligible candidates belonging to PH, STNA, CWAPP & FN categories are not available, the seats will be treated unreserved and candidates from the general category will be considered against such seats in order of merit.

(ii) Any student seeking admission on wrong information in respect of age, category , subject of passing and percentage of marks, etc in her/ his application form/admission will be cancelled at any time whenever it comes to the notice of the University/Institute during the course.

6. SALE OF PROSPECTUS & SUBMISSION OF APPLICATION FORM

6.1 Prospectus cum Application Form will be available on the sale counter w.e.f. **24th March, (Friday) 2006.** The Application for admission on prescribed form issued by the Institute for the academic year 2006 -2007 should be submitted to the **Director, Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, 4, Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110 002 on or before 26th May, (Friday) 2006.** Each application should be accompanied by the documents listed in the GENERAL INSTRUCTIONS to the candidates. Last date of despatch of prospectus by post is **19th May, (Friday) 2006.**

THE INSTITUTE DOES NOT TAKE ANY RESPONSIBILITY FOR DELAY IN THE RECEIPT OR LOSS OF APPLICATIONS IN POSTAL TRANSIT.

6.2 **Date of Entrance Test-** The Entrance Tests will be held in Delhi on **18th June, (Sunday) 2006** as follows :

(i) BPT/BOT - 10 A.M. to 1.00 P.M.

(ii) BPO - 2.00 P.M. to 5.00 P.M.

The candidate has to apply separately on two application forms if he/she wishes to appear in both the Entrance Tests provided he/she is eligible for the same.

BPT/BOT - PCBE

BPO - PCME/PCBE

Therefore only PCBE candidate can apply for both the tests.

In case a candidate does not receive his/ her Admit Card/Cards by **14th, June, 2006,** he/ she may immediately contact/write to the **Director, Pt. DUIPH, 4, Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110002. Duplicate Admit Cards shall be issued to candidates from 14 to 16th June, 2006 between 10.00 A.M. to 4.00 P.M. by the Institute only.**

No candidate shall be admitted to the Examination Hall unless he/she holds an Admit Card issued by the Institute.

6.3 Result- The result will be published tentatively on 30th June, 2006 in the Institute & also be made available on the website of the Institute www.iphnewdelhi.in No intimation will be sent to unsuccessful candidates. The Institute does not issue or supply any marks sheet to the candidates for their appearing in the entrance test and no correspondence on this subject will be entertained. Only successful candidates in the merit list will be called for counselling and provisional admission on a stipulated date and time as decided by the Institute.

6.4 **Cost of Prospectus including Fee for the Entrance Test**

The Prospectus-cum-application form can be purchased from Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, 4,Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110002 at its counter against payment of Rs.500/- for General Category and Rs.250/- for SC/ST candidates (on producing the/ Demand Draft payable at New Delhi in favour of **"Director, Pandit Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, New Delhi".** general categories candidates desiring to obtain Prospectus-cum-application form by Regd.Post may send demand draft of **Rs.550/-** and **Rs. 300/-** for SC/ST category candidates (with their caste certificate) as mentioned above along with a self addressed, unstamped envelop (Size 12 x 28 cms.) **to the Director, Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, 4, Vishnu Digambar Marg, New Delhi-**110002. The form and prospectus will be sent to them by **Speed post/ Registered post/Courier**. However, the Institute does not take any responsibility for any loss in transit or its late delivery due to postal delays. Out station candidates are therefore, advised to send their request for application form well in advance before the closing date of sale of prospectus cum application form.

Since the Entrance Tests for BPT/BOT and BPO shall be conducted separately, so the candidates are advised to apply separately on two application forms. **Photocopied application forms will not be accepted and will be summarily rejected.**

6.5 No transferes from BPO to BOT and BPT courses will be made as tests are held separately.

7. COURSE FEE

The candidates called for counselling will have to pay following fees on the scheduled date of admission to the course if granted provisional admission in the particular course of choice indcat earlier.

S.No.	*Particulars*	*Amount*	*Remarks*
1.	Admission Fee	1000.00	once only (Non-Refundable)
2.	Caution Money	10000.00	(Refundable only on successful completion of the course)
3.	Library Security Deposit	1000.00	(Refundable)
4.	Tuition fee	6000.00	Per annum
5.	Hostel Fee	6000.00	Per annum (To be deposited only on allotment of hostel)
6.	Therapeutic Laboratory Fee	2000.00	Per annum
7.	Sports and Cultural Fee	300.00	Per annum
8.	Enrolment Fee	-	As per Delhi University
9.	Examination Fee	-	As per Delhi University
	Total	**26,300.00**	**Approximately**

Note :

(i) No Fee from Sl. No. 1 to 7 will be refunded once the classes have commenced.

(ii) Sl. No. 1 Admission fee is not refundable once the provisional admission has been completed.

(iii) Sl. No. 2 Caution Money is refundable only on successful completion of the course. In case a candidate leaves the course after admission it will not be refunded.

(iv) Sl. No. 3, 4, 6 & 7 will not be refunded if the admitted candidate starts attending classes. However these will be refundable if a candidate with draws from admission before the date of second counselling for admission, otherswise only Library security will be refunded on production of no dues from the department.

(v) Hostel fee will be refundable if the candidate has not been given accomodation in the Hostel.

8. HOSTEL

(i) Limited accommodation is available in the Institute hostel to the outstation candidates depending upon the vacancy. Residents of Delhi will not be provided Hostel seats. Hostellers are governed by the rules and regulations as laid down in the hostel manual.

(ii) Hostel Fee @Rs. 6000/- per annum on account of rent, electricity, water and maintenance charges will be levied only on allotment of hostel.

(iii) In case seats are not available in the Institute hostel, the candidates will have to make their own arrangement to stay in Delhi. Hostel accommodation will be allocated on year to year basis.

(iv) Failed students/Ex-students will not be allowed to stay in hostel. However, reallotment to failed students may be considered on their passing the annual/supplementary examination subject to availability of vacancies.

9. GENERAL INSTRUCTIONS

(i) The attached application form should be filled in by the candidate in his/her own handwriting after reading the following instructions carefully. **The application filled by a person other than candidate himself is liable to be rejected.**

(ii) The candidate should sign application form, Identity cards & Admit card in his/her flowing and running handwriting. Application forms signed in capital letters will not be accepted and candidate will not be allowed to appear in the Tests.

(iii) Furnishing of false information or suppression of any factual information in the application form would be a disqualification and likely to render the candidate unfit for admission to the course applied for.

(iv) If any false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the application form, comes to notice at any time during a candidate's undergoing training in the Institute, his/her name will be struck off the rolls.

(v) All answers must be given in words and not by dashes and dots, No column should be left blank or incomplete.

(vi) Incomplete application will be summarily rejected. Instructions contained in the prospectus should be read carefully before filling up the application form.

(vii) ***Delhi High Court shall have the jurisdiction to settle any legal dispute regarding admission.***

10. CHECK LIST OF DOCUMENTS TO BE FURNISHED WITH APPLICATION FORM/FORMS

Before despatching the application form the candidate should check against each of following items whether he/she has enclosed the same or not :-

Applicants are advised to submit only attested true photocopies of their certificates and do not an enclose original certificates with their application forms.

1. Date of Birth Certificate, Matriculation, Senior Secondary School Certificate issued by Board/ University.

2. Certificate from the prescribed competent Authority for the Candidate seeking admission under the reserved categories.

3. Certificate of good conduct from the School/ College last attended.

4. Documentary evidence of having passed appearing the 12th standard examination under 10+2 scheme

5. Marks Sheet of 12th standard board examination of 10+2 scheme.

6. 3 Recent Coloured Passport size Photographs placed at box spaces given on 'Application form, Admit card and Identity card.

7. Self-addressed Acknowledgement Card.

8. Admit Card and Identity Card duly signed by candidate in running/flowing handwriting.

9. Self-addressed unstamped envelope (12 x 28 cms) for receiving Admit Card.

10. Declaration on Application Form duly signed by applicant as well as Father/Mother/ Husband/Guardian of the candidate.

11. Duly filled application form alongwith all the documents should be sent to the-

    Director, Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped, 4, Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110 002

12. The envelop containing application form should be supersuribed with "Application for Entrance Test of BPT/BOT" or "Application for Entrance Test of BPO" whichever is applicable.

Note:-

In case a candidate is appearing or has appeared in the 12th Class Examination under 10+2 Scheme or an equivalent examination he/she should submit a certificate to this effect from the Principal/Head of the College. He/She shall have to provide a documentary evidence of his/her having passed the qualifying examination with the required subjects and attested photocopy of the marks sheet showing required percentage of marks obtained by him/her latest by <u>30th May (Tuesday) 2006</u> failing which his/her performance at the Entrance Test will not be considered.

The last date of receipt of duly filled forms is <u>26th May, (Friday) 2006.</u> Applications received thereafter will not be considered.

11. INFORMATION FOR THE CANDIDATE ON THE DATE OF ENTRANCE TEST

a). Entrance Test for BOT/BPT -

Time Schedule to be strictly adhered to by the candidates reporting for Entrance Test.

Reporting Time at the Centre	:	9.30 A.M.
Candidates to Occupy Seats	:	9.45 A.M.
Issue of Question Booklet	:	9.50 A.M.
Breaking open of the Seal of Booklet	:	9.55 A.M.
Start Answering on Answer Sheet	:	10.00 A.M.
Test Concludes	:	1.00 P.M.

b). Entrance Test for BPO -

Time Schedule to be strictly adhered to by the candidates reporting for Entrance Test.

Reporting Time at the Centre	:	1.30 P.M.
Candidates to Occupy Seats	:	1.45 P.M.
Issue of Question Booklet	:	1.50 P.M.
Breaking open of the Seal of Booklet	:	1.55 P.M.
Start Answering on Answer Sheet	:	2.00 P.M.
Test Concludes	:	5.00 P.M.

2. **No candidate will be allowed entry in the Examination Hall after 10.00 A.M. in test for BOT/BPT and after 2.00 P.M. in test for BPO under any circumstances.**

3. Candidate must bring Admit Card with him/her. Candidate without admit card will not be permitted to write the test.

4. Candidate should bring with him/her, his own H.B. Pencil, Ball Pen, Eraser & Sharpener etc. for writing the test.

5. **No stationary as at 4 above will be provided at the Entrance Test Centre.**

6. The candidate has to make entries about his/her particulars on Test booklet by Pen/Ball point pen. On Answer Sheet side I the desired particulars are to be filled by pen/Ball point pen. Whereas on side 2 (except signature) all the coded information and answers should be written with H.B. Pencil by filling appropriate bubbles/circles only.

7. Candidate should read the instructions on Test booklet & Answer-sheet carefully & follow it. Queries should be clarified with invigilators.

8. Each test question paper will consists of 200 **Objective type Questions** with 50 questions each in Physics, Chemistry, Biology, Mathematics and G.K. & English. Total test marks will be 800.

9. The candidates opting for the test for BOT/BPT will have to attempt Physics, Chemistry, Biology and General Knowledge & English questions only.

10. Candidates opting for the test for BPO will have the choice to attempt either Biology or Mathematics questions depending upon their subjects in 10+2 and choice of subjects they have opted in their application form.

11. Each question carries 4 marks. For each incorrect answer one mark will be deducted from total score.

12. Candidate will not be allowed to leave the Examination Hall before half time for the test is over.

13. **Candidate will not be allowed to carry any baggage or articles including Calculator, Pager, Mobile Phones etc. inside the Examination Hall.**

14. The Institute will not be responsible for any loss/theft of his/her personal belongings.

15. Candidate is advised to visit venue of his/her Test Centre a day before the Test. The seating arrangement same day early in the morning in the seating plans provided at the centre.

16. Examination Superintendent of each Centre is authorized to examine any candidate/complaint/dispute and take decision accordingly.

17. **Candidate found to be indulging in any type of unfair means/malpractice will not be allowed to write the test further and the entire test performance of the candidate will be cancelled.**

18. Any attempt of impersonation will be dealt with strictly under law.

19. Cold drinks/tea/coffee etc. will not be permitted inside the Test Centre Halls except drinking water.

12. MAINTENANCE OF DISCIPLINE AMONG STUDENTS OF THE UNIVERSITY

12.1 Only successful candidates in the merit list of the Entrance Tests will be called for counselling for provisional admission on the stipulated date/time. The admissions are subject to confirmation by University of Delhi.

12.2 Attendance

A candidate admitted to BOT/BPT/BPO shall not be deemed to have satisfied the required conditions of attendance unless he/she has attended not less than

three-fourths (75%) of the theory and practical classes separately in each subject in each academic year. Attendences is compulsory in the prescribed internship period of six months. In addition attendance at the District Disability Rehabilitation Centres wherever prescribed in the course shall also be compulsory. **Institute does not take responsibility to complete attendance by arranging extra classes. A student if found short of attendance or not attending classes without information is liable to face disciplinary action including cancellation of admission or will not be allowed to sit in annual examination.**

13. PROHIBITION OF AND PUNISHMENT FOR RAGGING (Ordinance XV-C)

1. Ragging in any form is strictly prohibited, within the premises of the Institute including classrooms, library, corridors, departments and hostel and any part of University of Delhi system as well as on public places including transport.

2. Any individual or collective act or practice of ragging constitutes gross indiscipline and shall be dealt with under this ordinance

3. Ragging for the purposes of this ordinance, ordinarily means any act, conduct or practice by which dominant power or status of senior students is brought to bear on students freshly enrolled or students who are in any way considered junior or inferior by other students and includes individual or collective acts or practices which :

   (a) involve physical assault or threat or use of physical force

   (b) violate the status, dignity and honour of men/women students

   (c) violate the status, dignity and honour of students belonging to the scheduled castes and scheduled tribes.

   (d) expose students to ridicule on contempt and affect their self-esteem.

   (e) entail verbal abuse and aggression, indecent gestures and obscene behaviour.

4. The principal of a college, the head of the department or an institution, the Authorities of college, of University Hostel or Halls of Residence shall take immediate action on any information of the occurrence or ragging.

5. Notwithstanding anything in clause (4) above, the Proctor may also enquire into any incident of ragging and make a report to the Vice-Chancellor of the identity of those who have engaged in ragging and the nature of the incident.

6. The Proctor may also submit an initial report establishing the identity of the perpetrators of ragging and the nature of the ragging incident.

7. If the Principal of the College or Head of the Department or Institution or the Proctor is satisfied that for some reason, to be recorded in writing, it is not reasonably practical to hold such an enquiry, he/she may so advise the Vice-Chancellor accordingly.

8. When the Vice-Chancellor is satisfied that it is not expedient to hold such an enquiry, his/her decision shall be final.

9. On the receipt of a report under clause (5) or (6) or a determination by the relevant authority under clause (7) disclosing occurrence of ragging incidents described in Clause 3(a), (b) and 9 (c), that the Vice-Chancellor shall direct or order rustication of a student or students for a specific number of years.

10. The Vice-Chancellor may in other cases of ragging order or direct that any student or students be expelled or be not for a stated,

period admitted to a course of study in a results of the student or students concerned in the examination or examinations in which they appeared be cancelled.

11. In case where students who have obtained degrees or diplomas of University of Delhi are found guilty under this Ordinance, appropriate action will be taken under stature 15 for withdrawal of degrees or diploma conferred by the University.

12. For the purpose of this Ordinance, abetment to ragging will also amount to ragging.

13. All institutions within the University of Delhi system shall be obligated to carry out instructions/directions issued under this ordinance, and to give aid and assistance to the Vice-Chancellor or achieve the effective implementation of the Ordinance.

14. INSTRUCTIONS FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM

14.1 The application form should be filled by the candidate himself in his own handwriting.

Fill up the details of Bank Draft enclosed if you have downloaded the application form from our website. Downloaded applications without bank draft of required amount will not be considered.

14.2 Examine the choice of course carefully. Know about the courses in detail from your resources or from our website and fill up in the relevant column in order of priority. The candidates will be offered courses at the time counselling in order of their priority only. No change in priority at the time of counselling/admission will be permitted.

14.3 Affix your recent passport size colour photograph duly attested either by your school/ college principal or a gazetted officer. Get the photograph attested before affixing it to the application form and not on the application form.

14.4 Put your signature in the space provided below the space for photograph in the flowing hand writing. Signatures put in block letters will not be accepted.

14.5 Write your name in CAPITAL LETTERS in boxes provided for the same. Count the boxes required for your name leave one box between name & surname. Add boxes if the provided boxes are less in number.

14.6 Write your date of birth in terms of day, month and year as examplified below :

Date of birth

Day	*Month*	*Year*
1 7	0 6	1 9 8 6

14.7 Mention your age as on Ist Oct, 2006. e.g. a candidate having above date of birth will be of following age :

Days	***Months***	***Years***
1 6	0 3	2 0

14.8 Write the place of your birth in the terms of city/Distt. and State as examplified below :

City/Distt.	***State***
Rohtak	Haryana

14.9 Mention your place of domicile i.e. original State/district of the father of the candidate.

14.10 Mark ☑ your sex in the appropriate box

14.11 Mark ☑ your martial status in appropriate box

14.12 (a) Write your nationality. In case you are a passport holder it should be mentioned as given in your passport.

(b) Mention about your mother tongue.

14.13 & 14.17 Read columns 14.13 to 14.17 in application form & Sl. 5 Number of seats in prospectus carefully and Mark ☑ in appropriate box(ex). Do not forget to attach certificate from competent authority to stake claims of benefit under the relevant category.

14.18 & 14.19 Write your address for correspondence and permanent address in capital letters in the boxes provided for the same. Leave one box vacant after completion of each word. Pin code should also be mentioned to avoid delay in postage. Telephone and Fax (if any) should be given to correspond/contact you in the matters of urgency.

14.20 & 14.24 Write the name of your father/husband/ guardian and mother's name neatly in your own handwriting. Mention profession, monthly income and relationship with your guardian.

14.25 Fill up your educational qualification matriculation/10th standard onward in appropriate columns.. Attach a separate sheet if the provided space is inadequate. Attach attested photocopies of marksheets and certificates to this effect.

14.26 Mark ☑ in appropriate boxes and give likely date of declaration of result in your qualifying (10+2) examination if you have appeared this year.

14.27 If you have already passed your 10+2 examination fill up obtained marks in core subjects. viz Physics, Chemistry, Biology & English if you have applied for BOT, BPT courses and Physics, Chemistry, Mathematics/ Biology and English if you have applied for BPO course. Mention the core subjects in which you want to attempt your questions in Entrance Test. A candidate attempting questions in core subject of Mathmatics will not be eligible for admission in BOT & BPT. Therefore read the instructions and prospectus carefully before filling core subjects. The aggregate percentage of core subjects will be counted to judge your eligibility as well as the subjects to allow you to attempt in the Entrance Test.

14.28 & 14.29 Read the declarations to be signed by the candidate himself/herself and the guardian. They will be responsible for these declarations in case of any incidence of violating norms/rules is brought to the notice of the Institute.

- ❑ Do not write any thing on the page captioned "For Office Use Only".

15. FORMAT OF CERTIFICATES

15.1 For SC/ST candidates : To be issued by District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/ Sub-Divisional magistrate/Taluk Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant commissioner/Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate/Revenue Officer not below the rank of Tehsildar/Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides/Administrator/ Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep Islands)

This is to certify that Sh./Ku...
Son/Daughter of Sh./Ku...
of Village/Town...
In District Division..
of the State/Union Territory...
belongs to the..
caste/tribe which is recognised as Scheduled Caste/scheduled Tribe.

Signature..

Place & Date : Name...

(Official seal) (In Capital Letters).....................................

Designation..

15.2 **ALTERNATIVE**

(application only to those persons who have migrated from one state to another for purpose of employment, education, etc.) on the basis of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificate issued by..

vide No...
(Name of the issuing authority)

....date...................to Mr./Mrs...father/mother

of Sh./Ku..of Village/Town...in District

Division..on the State/Union Terriroty..

it is certified that he/she belongs to the...Caste/Tribe which is recognised as

Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Terrirory...

Signature...

Name...

Place & Date : (In Capital Letters)..

(Official seal)

Designation...

Please delete the words which are not applicable. Only photo copy of the certificate duly attested by the Headmaster/ Principal of School or Gazetted Officer should be submitted.

14.1. बैंक ड्राफ्ट नं./Bank Draft No...

राशि/Amount..

में देय/Payable at..

संख्या/No.....................

(यदि आपने इस फार्म को वेबसाइट से डाउनलोड किया हो, तो सामान्य श्रेणी के लिए 550 रूपए और अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवार के लिए 300 रूपए)

(In case you've down loaded this form from website, Rs. 550/- for Gen. and Rs. 300/- for SC/ST candidate)

पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान

4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली –110 002.

स्नातक भौतिक चिकित्सा, स्नातक व्यावसायिक चिकित्सा और स्नातक प्रोस्थेटिक्स एवम् आर्थोटिक्स से संबंधित प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवदेन–पत्र

Pt. DEENDAYAL UPADHYAYA INSTITUTE FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED

4, VISHNU DIGAMBER MARG, NEW DELHI-110 002.

APPLICATION FORM FOR ENTRANCE TESTS TO
Bachelor of PHYSIOTHERAPY, Bachelor of OCCUPATIONAL THERAPY and Bachelor of PROSTHETICS & ORTHOTICS

(SESSION 2006 - 2007)

14.3. किसी राजपत्रित अधिकारी/ किसी संस्था/विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित हाल ही का उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो लगाएँ

Affix Photograph here duly signed by the candidate and attested by a Gazetted Officer/ Principal of a recognised College Institution/School

14.2. पाठ्यक्रमों का विकल्प/प्रवेश परीक्षा
CHOICE OF COURSES/ENTRANCE EXAM.

1. बीपीटी/बीओटी
BPT/BOT ....
OR

2. बीपीओ
BPO

14.4. प्रत्याशी के हस्ताक्षर/*Signature of Candidate*

14.5. प्रत्याशी का नाम/Full Name of the Candidate

उपनाम Surname	प्रथम नाम First Name	मध्य नाम Middle Name

14.6. जन्म तिथि Date of Birth

दिन Day	मास Month	वर्ष Year

14.7. 1 अक्टूबर 2006 को आयु Age as on Ist Oct. 2006

दिन Days	मास Months	वर्ष Year

आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि — **26 मई, (शुक्रवार) 2006**

LAST DATE OF RECEIPT OF APPLICATION — **26th May, (Friday) 2006**

(1) बैचलर आफ फिजिकल थैरेपी/बैचलर आफ आकूपेशनल थैरेपी (2) बैचलर आफ प्रौस्थैटिक एण्ड आर्थोटिक के लिए अलग–अलग फार्म भरें तथा इसके लिए दिए गए स्थान पर उनका विकल्प लिखें ।

Fill separate application forms for 1. (BPT/BOT) and 2. (BPO) and write your choice in the space provided for the same.

14.8 जन्म स्थान / Place of Birth — गांव / Village — जिला/नगर / District/City — राज्य / State

अस्पताल का नाम जहां पैदा हुआ । यदि कोई हो तो
Name of Hospital (where born) if any

14.9. अधिवास स्थान / Place of Domicile — राज्य / State — नगर / Town — गाँव / Village

14.10. लिंग / Sex — पुरुष / Male ☐ — महिला / Female ☐

14.11. वैवाहिक स्थिति / Marital Status — विवाहित / Married ☐ — अविवाहित / Single ☐

14.12. (क) राष्ट्रीयता..(यदि पासपोर्ट रखते हो, तो उल्लिखित राष्ट्रीयता का ही उल्लेख करें ।)
(a) Nationality...(In case of Passport holders, Nationality should be given as mentioned in the Passport).

(ख) मातृभाषा...............................
(b) Mother Tongue.....................................

14.13. क्या आप निम्नलिखित में से किसी श्रेणी से संबंधित है ?
Do you belong to any of the following categories

अनु. जाति./SC — हां/Yes ☐ — नहीं/No ☐

अनु. जनजाति./ST — हां/Yes ☐ — नहीं/No ☐

यदि हाँ तो कृपया इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें ।
If yes, Please enclose Certificate to this effect.

14.14. क्या आप शारीरिक रुप से विकलांग श्रेणी से संबंधित हैं ?
Do you belong to PH category?

हां/Yes ☐ — नहीं/No ☐

यदि हाँ तो कृपया इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें ।
If yes, Please enclose Certificate to this effect.

14.15. क्या आप सी.डब्ल्यू.ए.पी.पी. श्रेणी से संबंधित हैं ?
Do you belong to CWAPP category?

हां/Yes ☐ — नहीं/No ☐

यदि हाँ तो कृपया इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें ।
If yes, Please enclose Certificate to this effect.

14.16. क्या आप ऐसे राज्य के प्रत्याशी हैं जहाँ इस प्रकार की शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ?
Do You belong to a state where similar teaching facilities are not available. (STNA)

हां/Yes ☐ — नहीं/No ☐

यदि हाँ तो कृपया इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें ।
If yes, Please enclose Certificate to this effect.

14.17. क्या आप विदेशी राष्ट्रीयता की श्रेणी से संबंधित हैं ?
Are you a Foreign National (FN)

हां/Yes ☐ नहीं/No ☐

कृपया विवरणिका में किए गए उल्लेख के अनुसार उचित माध्यम से अपना आवेदन भेजें ।
Please route your applicati on through proper channel as explained in prospectus

14.18. पत्र व्यवहार का पता
(साफ–साफ अक्षरों में)
Address for correspondence
(Capital Letters)

दूरभाष नं./Tele No.

फैक्स (यदि कोई हो)
Fax (if any)

पिन कोड/
Pin Code :

14.19. स्थायी पता
Permanent Address

दूरभाष नं./Tele No.

फैक्स/Fax (if any)

पिन कोड/
Pin Code :

14.20. पिता/पति/अभिभावक का नाम व पता
Father's/Husband's/Guardian's Name and address

14.21. माता का नाम
Mother's Name

14.22. अभिभावक का व्यवसाय
Profession of your Guardian

14.23. अभिभावक की वार्षिक आय (रु.)
Annual Income of Guardian (Rs.)

14.24. अभिभावक के साथ सम्बन्ध
Relationship with the Guardian

14.25. प्रार्थी की शैक्षिक अर्हता (मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा) से आगे
Educational Qualification of the applicant Matriculation (10th standard) onwards.

निर्देश:– प्रमाण पत्र और अंकतालिका की सत्यापित प्रतियाँ ही संलग्न करें अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा ।
Note :- Attested photocopies of Certificate and Marks Sheet to be enclosed failing which the application will not be considered.

कालेज व स्कूल का नाम व पता Name and Address of the school/College	उत्तीर्ण की गई परीक्षा का नाम Full Name of Examination passed	विश्वविद्यालय/ बोर्ड का पूरा नाम Full Name of Board/University	लिए गए विषय Subjects taken	उत्तीर्ण वर्ष Year of Passing	प्राप्तांको का प्रतिशत % of marks Obtained

14.26. क) क्या आप इस वर्ष 10+2 परीक्षा में बैठ चुके हैं ?/ बैठ रहे हैं ? हां Yes ☐ नहीं No ☐
Have you appeared /appearing in 10 + 2 exam this year ?

ख) क्या परिणाम अभी अघोषित है ? हां Yes ☐ नहीं No ☐
Result yet to be declared ?

ग) यदि हाँ, तो परिणाम कब तक घोषित होने की संभावना है । दिन Days ☐☐ मास Months ☐☐ वर्ष Year ☐☐
If Yes, when the result is likely to be declared

14.27. क) कोर विषयों में अर्हक परीक्षा (10+2) में प्राप्तांक ।
Marks obtained in the qualifyings (10+2) Examination in core subjects.

विषय/Subject	पूर्णाक/Total Marks	प्राप्तांक/Marks obtained
1. भौतिकी/Physics		
2. रसायन शास्त्र/Chemistry		
3.(क) जीव विज्ञान/Biology		
(ख) गणित/Mathematics		
4. अंग्रेजी/English		
योग/Total		

ख) चार कोर विषयों में योग प्रतिशत (जो उपयुक्त हों)
Aggregate percentage in Core subjects — (पी सी बी ई/PCBE) ☐☐ — (पी सी एम ई/PCME) ☐☐
(whichever is applicable)

ग) प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए वैकल्पिक मुख्य विषय
Core Subjects opted for appearing in Entrance Test

भौ., रसा.शा.,जी.वि. व अंग्रेजी/PCBE ☐

भौ.,रसा.शा., गणित व अंग्रेजी/PCME ☐
(केवल बैचलर आफ प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स प्रत्याशियों के लिए)
(only for BPO Course candidates)

14.28. **प्रत्याशी की घोषणा :**
DECLARATION OF CANDIDATE

(क) मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है।
(a) I solemnly declare that the information given by me in this application is true to the best of my knowledge.

(ख) मुझे मेरी योग्यता क्रम सूची तथा मेरी पात्रता के अनुसार जो भी पाठ्यक्रम आवंटित किया जाएगा मैं उसमें प्रवेश लूँगा/लूँगी ।
(b) I shall join the course whichever is allotted to me as per merit list and my eligibility.

(ग) मैं समय–समय पर लागू संस्थान के नियमों और विनियमों का अनुपालन करूँगा/करूँगी ।
(c) I shall abide by Rules and Regulations of the Institute as applicable from time to time.

(घ) अनुशासनहीनता और कदाचार के लिए मुझे संस्थान से निकाल देने तथा संस्थान और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आपराधिक कार्यवाही तक दण्डित किया जा सकता है ।
(d) Indiscipline/Misconduct shall make me liable to punishment extending upto expulsion from Institute & criminal proceedings as per rules of the Institute/University.

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of Applicant

स्थान/Place ....
दिनांक/Date........................

14.29. पिता/पति/अभिभावक द्वारा घोषणा :
DECLARATION BY THE FATHER/HUSBAND/GUARDIAN

मैं घोषणा करता हूं कि मेरी सवोत्तम जानकारी तथा मेरे विश्वास के अनुसार मेरे पुत्र/पुत्री/प्रतिपाल्य द्वारा दिया गया विवरण सत्य है । वह संस्थान तथा विश्वविद्यालय नियमों का पालन करेगा/करेगी । कोई भी अनुशासनहीनता, कदाचार तथा संस्थान शिष्टता को भंग करने के लिए उसे संस्थान से निकाल देने तक का दण्ड दिया जा सकता है ।

I declare that all statements made by my/son/daughter/wife/ward are true to the best of my knowledge and belief. He/She shall abide by the rules of the Institute/University. Any indiscipline, misbehaviour, misconduct & breach in decorum of Institute will make her/him liable to punishment upto expulsion from Institute.

स्थान/Place........................
दिनांक/Dated......................

पिता/पति/अभिभावक के हस्ताक्षर
Signature of Father/Husband/Guardian

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए
FOR OFFICE USE ONLY

(क) श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/...

रोल नं० ....से आवेदन–पत्र प्राप्त किया ।

(A) Received the Application Form Sh./Smt/Ku..Son/Daughter of.................................

....Roll No..........................

(ख) ....को प्रवेश पत्र जारी किया गया ।

(B) Admit Card issued on..

(ग)/(C) विसंगतियां/Discrepancies

1. ....

2. ....

3. ....

(घ)(D) अन्य कोई अभ्युक्ति/Any other Remarks

....

....

....

संवीक्षा समिति के सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर/
Signature of Screening Committee Member(s)

परामर्श के समय उपयोग हेतु
FOR USE AT THE TIME OF COUNCELLING

(क) परामर्श की तिथि..
(A) Date of Counselling..................................

(ख) प्रवेश चयन परीक्षा में अंक
(B) Marks in Entrance Test..............................

(ग) योग्यता–क्रम सूची में स्थान.................................
(C) Place in Merit List.....................................

(घ) वर्ग..
(D) Category..

(ञ) दाखिले के लिए चयन किया गया : (बीपीटी / बीओटी / बीपीओ)
(E) Selected for admission into : (BPT / BOT / BPO)

के लिए चयनित/Selected for ☐☐☐

प्रतीक्षा सूची में/Wait listed for ☐☐☐

प्रवेश की तिथि /Date of Admission ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

(च) प्रतीक्षा सूची नम्बर :
(F) Waiting List Number :

बीपीटी/BPT ☐☐☐

बीओटी/BOT ☐☐☐

बीपीओ/BPO ☐☐☐

हस्ताक्षर/Signature

- विभागाध्यक्ष
  Head of Deptt.

स्थान/Place.....................

दिनांक/Date.....................

- अध्यक्ष दाखिला समिति
  Chairman Admission Committee

निदेशक
DIRECTOR

PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA INSTITUTE FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED NEW DELHI

BPT/ BOT

REPORTING TIME : 9.30 A.M. 18.6.06 Test Timings 10.00 A.M. to 1.00 P.M.

BPO

REPORTING TIME : 1.30 P.M. 18.6.06 Test Timings 2.00 P.M. to 5.00 P.M.

Pt. DEENDAYAL UPADHYAYA
INSTITUTE FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED
4, Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110 002

IDENTITY CARD

Entrance Test for ***BPT / BOT*** ***or*** ***BPO***

Roll No. ....

Full Name. ....Sex. ....

Age on 1.10.2006. ....

Venue of Test. ....

....

Affix Photograph here Attestation not to be done

Sign. of Test Superintendent *Signature of Candidate*

Pt. DEENDAYAL UPADHYAYA
INSTITUTE FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED
4, Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110 002

ADMIT CARD

Candidate without this card will not be admitted for the Test

Entrance Test for ***BPT / BOT*** ***or*** ***BPO***

Roll No. ....

Full Name. ....Sex. ....

Age on 1.10.2006. ....

Venue of Test. ....

....

Affix Photograph here Attestation not to be done

Sign. of Test Superintendent *Signature of Candidate*

Pt. DEENDAYAL UPADHYAYA
INSTITUTE FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED
4, Vishnu Digamber Marg, New Delhi-110 002

Reference No......................

Acknowledgement

1. The undersigned acknowledge the receipt of your application form for Entrance Test for admission to Bachelor of [BPT/BOT] or [BPO]
2. In all correspondence with the Institute in connection with this application, invariably quote the reference number given at the top.
3. Any change in your postal address should be communicated to this office at once.
4. This is merely an acknowledgement of your application.

Candidate should himself/herself write his/her complete address on the reverse with Pin Code to ensure timely reply.

Director
Pt. Deendayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped

ACKNOWLEDGEMENT CARD

Stamp

To

....

....

....

Pin Code : [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांग जन संस्थान

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान)

Pt. DEENDAYAL UPADHYAYA
INSTITUTE FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED

(An Autonomous Institute under Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India)

विवरणिका/PROSPECTUS
(2006–2007)

स्नातक, भौतिक चिकित्सा – (4 वर्ष एवं छः मास)
Bachelor of Physical Therapy - (4 Years & 6 Months)

स्नातक, व्यावसायिक चिकित्सा – (4 वर्ष एवं छः मास)
Bachelor of Occupational Therapy - (4 Years & 6 Months)

स्नातक, प्रोस्थेटिक्स एवम् आर्थोटिक्स – (4 वर्ष एवं छः मास)
Bachelor of Prosthetics & Orthotics - (4 Years & 6 Months)

दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
Affiliated with University of Delhi

4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली – 110 002
4, VISHNU DIGAMBER MARG, NEW DELHI-110 002
दूरभाष/PHONES : 23236193, 23216902, 23232403
website : www.iphnewdelhi.in   E-mail : diriph@ren02.nic.in